



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 184-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016 (KARTIKA 24, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

आदेश

दिनांक 15 नवम्बर, 2016

संख्या 26/4/1999-2 विद्युत.— भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग, अधिसूचना संख्या 26/4/1999-2 विद्युत, दिनांक 29 अगस्त, 2013, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निदेश देते हैं कि प्रदायक की प्रदाय प्रणाली से पहले से जुड़ी सभी संस्थापनाएं निम्न अनुसार निरीक्षित तथा परीक्षित की जाएंगी:—

(1)	विद्युत निरीक्षक द्वारा अतिरिक्त उच्च तथा उच्च वोल्टेज संस्थापना	वर्ष में एक बार
(2)	कृषि उपभोगता जिन का निरीक्षण प्रदायक द्वारा किया जाएगा के सिवाए विद्युत निरीक्षण द्वारा मध्यम वोल्टेज संस्थापनाएं	तीन वर्ष में एक बार
(3)	प्रदायक द्वारा निम्न वोल्टेज संस्थापनाएं	पाँच वर्ष में एक बार

2. भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा ऐसे सामयिक निरीक्षणों तथा परीक्षणों के लिए फीसों का निम्नलिखित मापक्रम निश्चित करते हैं:—

(क) ट्रांसफार्मर, जनरेटिंग सैट तथा मोटरों से सम्बन्धित अतिरिक्त उच्च, उच्च तथा मध्यम वोल्टेज संस्थापनाओं के उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए निरीक्षण तथा परीक्षण संस्थापनाओं के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अलग-अलग होगा।

(i)	25 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक सम्बद्ध भार	175/—रुपये
(ii)	25 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार किन्तु 100 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	350/—रुपये
(iii)	100 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार किन्तु 500 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	865/—रुपये
(iv)	500 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार किन्तु 1000 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	1730/—रुपये
(v)	1000 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार	प्रति 100 किलोवाल्ट एम्पेयर या उसका भाग 1730/— +40/—रुपये

- (ख) निम्न वोल्टेज संस्थापनाओं के निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए 40/-रुपये
 (ग) उंचाई में स्थित लाइनों के निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए 175/-रुपये

3. यदि प्रारम्भिक निरीक्षण के परिणाम के अनुसार द्वितीय या पश्चात्वर्ती निरीक्षण आवश्यक है, तो पुनः निरीक्षण फीस प्रारम्भिक निरीक्षण के लिए प्रभारित फीस की राशि के दुगुनी तक होगी, किन्तु किसी भी दशा में प्रारम्भिक निरीक्षण फीस से कम नहीं होगी।

4. संस्थापनाओं के सम्बन्ध में समायिक निरीक्षण फीस, निरीक्षण जो देय हो गया था तथा जिसे इस अधिसूचना से पूर्व नोटिस पहले ही जारी किए गए हैं, पुरानी दरों पर प्रभारित की जाएगी।

5. किलोवोल्ट से किलोवोल्ट एम्पेयर से सम्बद्ध भार प्रवर्तित करने के लिए, उस समय विद्युत उपयोगिता में चालू विद्युत गुणक को निरीक्षक फीस की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

6. पुनरीक्षित दरें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

7. ये पुनरीक्षित दरें इन दरों के लागू होने की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 20 प्रतिशत तक आगे बढ़ाई जाएंगी।

अनुराग रस्तोगी,
 प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
 विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Order

The 15th November, 2016

No. 26/4/1999-2 Power.— In pursuance of the provisions contained in clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 46 of the Indian Electricity Rules, 1956 and in supersession of Haryana Government, Power Department, Notification No. 26/4/1999-2- Power, dated the 29th August, 2013, the Governor of Haryana hereby directs that all the installations already connected to the supply system of the supplier, shall be inspected and tested as under:-

- | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1) | Extra High and High Voltage Installations by the Electrical Inspector | Once in a year |
| (2) | Medium voltage installations by the Electrical Inspector except Agricultural consumers which will be inspected by the supplier | Once in three years |
| (3) | Low voltage installations by the supplier | Once in five years |

2. In pursuance of the provisions contained in clause (a) of Sub-rule (2) of Rule 46 of the Indian Electricity rules, 1956, the Governor of Haryana hereby determines the following scale of fees for such periodical inspections and tests:-

- | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (a) | For inspection and testing for each class of consumers of Extra-High, High and Medium Voltage Installations pertaining to the transformers, Generating sets and motors, separately for each category of installations- | |
| (i) | Connected load not exceeding 25 Kilo Volt Ampere | ₹ 175/- |
| (ii) | Connected load exceeding 25 Kilo Volt Ampere but not exceeding 100 Kilo Volt Ampere. | ₹ 350/- |
| (iii) | Connected load exceeding 100 Kilo Volt Ampere but not exceeding 500 Kilo Volt Ampere. | ₹ 865/- |
| (iv) | Connected load exceeding 500 Kilo Volt Ampere but not exceeding 1000 Kilo Volt Ampere | ₹ 1730/- |
| (v) | Connected load exceeding 1000 Kilo Volt Ampere | ₹ 1730/-+
₹ 40/- per 100 Kilo Volt Ampere or part thereof |
| (b) | For inspection and testing of low voltage installations. | ₹ 40/- |
| (c) | For inspection and testing of Over-head lines. | ₹ 175/- |

3. In case a second or subsequent inspection is necessitated as a result of the initial inspection, the re-inspection fee shall be upto double the amount of fee charged for initial inspection, but in no case shall be less than the initial inspection fee.
4. The periodical inspection fee in respect of the installations, inspection for which had fallen due and to whom notices have already been issued prior to this notification shall be charged at old rates.
5. For converting the connected load in .Kilo Watt to Kilo Volt Ampere, the power factor prevailing in the power utility at that time, shall be taken into account for the purpose of calculation of inspection fee.
6. The revised rates shall be applicable with effect from the date of publication of the notification.
7. These revised rates would further be increased by 20% after every three years from the date of applicability of these rates.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Power Department.